21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को **राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा राज्य में '**राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना**' के अंतर्गत **सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ दिये जाने का आदेश** जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर **सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन** करते हुए यह कदम उठाया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व **नि:शक्तजन अधिनियम 1995** के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3 फीट 6 इंच ऊँचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।
- उन्होंने बताया कि **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016** के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-social-security-special-persons-pension-scheme